प्रकरण संख्या 02/2023 श्रीमती लच्छु कुंवर बनाम कैलाश व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.07.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 6 की सहखातेदारी अधिकार की आराजी नंबर 234/3 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा भूमि मौजा जसपुरा, तहसील वल्लभनगर में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी के दादा लाला पुत्र गोपा जी गाडरी के खातेदारी की थी। लाला का सन् 2004 में स्वर्गवास हो चुका है, जिसके पुत्र भेरा व वरदा, पुत्री लोगरी व सोहनी तथा ने दो विवाह किये जिसकी विधवा पेमीबाई व अमरीबाई हैं। वादी के पुत्र भेरा ने भी दो शादियां की पहली पत्नी सलुबाई व दूसरी पत्नी टाकूबाई है तथा भेरा की पुत्रियां बाबरी, मोहनी व सुन्दरी हैं तथा एक पुत्र प्रार्थी कैलाश है, जो जन्म से अंधा होकर अपने परिवार पर आश्रित है। प्रार्थी की अपंग स्थिति का गलत लाभ उठाकर विपक्षीगण वादग्रस्त कृषि भूमि को खुर्द बुर्द कर रहे हैं, जिससे उन्हें रोका जाना आवश्यक है। विपक्षी संख्या 7 प्रार्थी की बहन सुन्दर बाई का ससुर है तथा प्रार्थी की अपंगता का लाभ उठाकर अपने पुत्र को जवाई बनाने हेतु विपक्षी संख्या 1 पर दबाव डाल रहा है तथा षडयंत्र पूर्वक नुमाईशी विक्रय पत्र करवा लिया है एवं विपक्षी संख्या 8 को नुमाईशी विक्रय कर दिया है। इसी प्रकार अन्य विपक्षीगणों द्वारा भी नुमाईशी विक्रय किये जा रहे हैं, जबकि विवादित आराजी मौरूसी होकर प्रार्थी का जन्म से हक व अधिकार है तथा प्रार्थी के हिस्से को विक्रय करने का विपक्षीगण को कोई विधिक अधिकार नहीं है। अतः विपक्षीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 05.07.2016 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ताफैसला मूलवाद राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 9 द्वारा दिनांक 02.01.2023 को यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की गयी एवं रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3, 6, 7, 10, 11 की ओर से अधिवक्ता श्री जीवनसिंह राव उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 15 की ओर से अधिवक्ता श्री कुलदीप चौबीसा उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री ओंकारलाल डांगी उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की उन्हें जानकारी नहीं थी, क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनकी अनुपस्थिति में उन्हें बिना सुने निर्णय पारित किया गया है। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया। हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:47:30 IST
Reason: SelfAttested

अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 9 की कभी भी तामिल नहीं हुई है एवं लोक अदालत में अपीलान्ट को बिना सुने निर्णय पारित दिया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से स्पष्ट है कि लाला की मृत्यु के बाद वादग्रस्त आराजी लाला के दोनों पुत्र भेरा व वरदा तथा दोनों विधवा अमरीबाई व पेमीबाई के नाम दर्ज हुई, उसमें से प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अपने पिता भेरा के नाम दर्ज भूमि, जो की भेरा द्वारा मांगीलाल को विक्रय की गयी है एवं बाद में मांगीलाल द्वारा बाबूलाल को विक्रय की गयी है, उसी हिस्से की भूमि को लेकर प्रार्थना पत्र पेश किया था, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को समझे बिना सम्पूर्ण भूमि की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित कर दिया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताते हुए अपील सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि विवादित आराजी लाला के समय की होकर उसकी दो विधवा, दो पुत्र व दो पुत्रियां थी, जो विपक्षी संख्या 1 से 6 हैं। प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 विपक्षी संख्या 1 भेरा का पुत्र होकर भेरा के हक हिस्से तक ही अपना हित व अधिकार रखता है तथा वह सिर्फ अपने पिता के हिस्से की भूमि बाबत् ही अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग कर सकता है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय ने आराजी नंबर 234/3 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा की समस्त भूमि बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी है, जिससे लाला के अन्य वारिसों व उनके क्रेताओं के हक अधिकारों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा एवं वे अपने हक हिस्से की भूमि का उपयोग–उपभोग करने से वंचित रह जायेंगे। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 115/2011 निर्णय 05.07.2016 में आंशिक संशोधन किया जाकर सिर्फ भेरा के हक हिस्से की भूमि बाबत् ही मूलवाद के निस्तारण तक राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जाते हैं, लाला के अन्य वारिस व उनके क्रेता उक्त आदेश से बाधित नहीं रहेंगे। निर्णय आज दिनांक 24.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by (Pradeep Singh Sangawat)
Date: 2024.10.30 12:47:30 IST
Reason: SelfAttested

(प्रदीप सिंह सांगावत)
अति. प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:47:30 IST
Reason: SelfAttested